भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1783
उत्तर देने की तारीख 10 दिसंबर, 2025

जीएमपीसीएस लाइसेंस

1783. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी कंपनियों ने देश में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और यदि हाँ, तो प्रसंस्करण की स्थिति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए स्टारलिंक को उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है और यदि हाँ, तो लाइसेंस की शर्तों, विनियामक अनुपालन, डेटा सुरक्षा उपायों और घरेलू इंटरनेट प्रदाता कंपनियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक-निजी उपग्रह भागीदारी मॉडल का वास्तविक उद्देश्य डिजिटल अंतराल में कमी करना है या केवल कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन मॉडलों का विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो उक्त मॉडलों के नीतिगत ढांचे, जवाबदेही तंत्र, स्पेक्ट्रम उपयोग और सुरक्षा प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त ब्यौरा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवाओं के प्राधिकार के साथ यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) किसी आवेदक को तभी देता है, जब वह एक भारतीय कंपनी हो, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत

हो, और सुरक्षा शर्तों सहित यूएल के सभी तय निबंधन और शर्तों को मानने के लिए सहमत हो।

(ख) से (ङ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को पूरे देश (राष्ट्रीय क्षेत्र) के लिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा, वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) 'ए' सेवा के लिए प्राधिकार के साथ यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) प्रदान किया है।

लाइसेंस की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सैटेलाइट-आधारित संचार सेवा प्रदान करने के लिए भारत में अर्थ स्टेशन गेटवे बनाना, भारत से आने वाला या भारत के लिए जाने वाला कोई भी यूज़र ट्रैफ़िक भारत के बाहर मौजूद किसी भी गेटवे से रूट नहीं किया जाएगा, देश के बाहर भारतीय डेटा की कोई कॉपी या डिक्रिप्शन नहीं किया जाएगा, और भारतीय यूज़र ट्रैफ़िक को विदेश में मौजूद किसी भी सिस्टम/सर्वर पर मिरर नहीं किया जाएगा, शामिल हैं।

सैटेलाइट-आधारित संचार सेवा दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों सहित ग्रामीण, अल्प सेवित और सेवा से वंचित इलाकों में कनेक्टिविटी दे सकती हैं, जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव आदि जैसे स्थलीय मीडिया से कवर करना मुश्किल होता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारक प्राधिकृत सेवा(ओं) के लिए सेवा क्षेत्र में किसी भी जगह पर किसी भी आवेदक से बिना किसी भेदभाव के सैटेलाइट- आधारित संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इससे डिजिटल अंतराल को कम करने, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की समस्याओं का समाधान करने और डिजिटल सेवा तक सभी की पहुँच को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह भी उम्मीद है कि सैटेलाइट-आधारित संचार सेवा प्रदान करने के लिए ज़्यादा लाइसेंसी होने से, इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बेहतर गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सेवा मिलेंगी।

*****